the State Government in March, 1994 with the advice to recast the proposals, keeping in view the observations made. The recast proposal has not been received from the State Govt. till date.

आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) की सहायता के आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन

1694. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र के राजकोट, जाम नगर, भावनगर, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) की सहायता से कार्यान्वित की गई आवासीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के मामले में लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान जिलेवार कितने आवासों का निर्माण किया जायेगा;

(घ) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमश: जिलेवार कितने परिवारों को आवासों का आबंटन किया गया है ;

(ङ) कितने मामलों में आवासों को रहने/निवास करने योग्य नहीं पाये जाने के कारण आबंटित नहीं किया गया है;

(च) ऐसे आवासों की संख्या कितनी है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(छ) इन आवासों को रहने के योग्य न पाये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा क्या सरकार ने उक्त मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों को कोई अनुकरणीय दंड दिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1–4–91 से 30–6–94 तक की अवधि के दौरान हुडको ने राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में 8683 मकानों के निर्माण के लिये 28.64 करोड़ रु० की ऋण-सहायता स्वीकृत की है। स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

जिला का नाम	योजनाओं की संख्या	ऋण राशि (करोड़ रु०)	रिहायशी एकक
राजकोट	10	14.80	4232
जामनगर	6	4.07	1972
भावनगर	8	5.77	1509
जूनागढ़	4	3.29	800
कच्छ	1	0.71	170
	29	28.64	8683

(ख) 15.44 करोड़ रुपये ऋण- राशि की 12 योजनायें परियोजना की प्रक्रिया में हैं। जिला-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

जिला	योजनाओं की संख्या,	ऋण राशि	रिहायशी एकक
राजकोट	4	6.65	778
जाम नगर	1	3.83	360
भावनगर	3	2.82	737
जूनागढ़	3	1.42	465
कच्छ	1	0.72	170
	12	15.44	2510

(ग) से (छ) मकानों का निर्माण व आबंटन राज्य आवास एजेंसियों द्वारा किया जाता है ? हुडको स्वीकृत ऋण की किश्तें रिलीज़ करने से पूर्व परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखता है। तथापि, आबंटन तथा आबंटियों द्वारा फ्लैटों का कब्जा लेने से हुडको का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है।

Legal possession of land in Delhi

1695. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Central Government are aware that some big builders and individuals have taken illegal possession of the acquired land in Delhi and have constructed multistoreyed buildings/farm houses thereon and in order to avoid demolition or have taken stay orders from the courts;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) how much land was acquired in each of the last three years and how much out of that is under encroachment giving details thereof and the action taken by Government to remove the encroachments therefrom;

(d) the number of officers and builders found to be in league with each other giving the details thereof and the action taken against them; and

(e) at what rate the land was acquired from the farmers and for what purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) About 2 acres of land in Vasant Kunj were encroached by a builder. One & half storeyed building was raised on about 500 sq. yds. and on the rest of the land, a single storey commercial market was built which was demolished on 12.5.93 by the DDA.

(c) The land placed at the disposal of DDA during the last three years is as under:

Year	Area in Acres
1991-92	936.58
1992-93	1469.68
1993-94	31.35
Total:	2436.61